

प्रेषक,

सचिव,  
प्राथमिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश (कानपुर)

सेवा में,

अध्यक्ष/सचिव  
उत्कर्ष एजुकेशनल सोल्यूटर्स, 105 कालीबाड़ी बिल्डिंग बरोली।  
संस्था का नाम- उत्कर्ष इंस्टिट्यूट ऑफ कर्मसी, 8.5 किमी रोड रामपुर, रोड चौकी रोड, बरोली।

पत्रांक- प्राथिप/परिषद/2022/7387

लखनऊ दिनांक- 05-08-2022

**विषय- मात्र 2022-23 हेतु संस्थान को अनापत्ति पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया (पीएससीआई) के पत्रांक 14-56/2022 (Approval Process for 2022-23 no/12551-53 दिनांक 21-6-2022 एवं 14-56/2022 (Approval Process for 2022-23 no/12551-53 Online Application for 2022-23(DS), Online Application for 2022-23(AO) दिनांक 04-08-2022 को संदर्भित करने का कष्ट करें, जिसके अनुक्रम में सन 2022-23 हेतु डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु आप द्वारा सहमति/अनापत्ति निर्गत किये जाने के संबंध में अनुरोध किया गया है।

सूचना है कि प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को 'उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा अधिनियम-1962 (समासशोधित) 1974' की धारा-12(1) में प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत सम्बद्धता प्रदान करता है, एवं इस हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/पीएससीआई, नई दिल्ली से प्रकृत संस्थान एवं पाठ्यक्रम के अनुमोदनोपरांत ही संस्थान को सम्बद्धता पर विचार करता है।

फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया (पीएससीआई), नई दिल्ली के संदर्भ संख्या 14-56/2022 (Approval Process for 2022-23 no/12551-53 Online Application for 2022-23(DS), Online Application for 2022-23(AO) दिनांक 04-08-2022 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में राज्य स्तरीय समिति द्वारा दी गयी संकल्प के आधार पर संस्थान को सहमति/अनापत्ति पत्र इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जा रही है कि संस्था द्वारा सन 2022-23 हेतु फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा प्रकृत अनुमोदन पत्र, सन 2022-23 हेतु परिषद द्वारा आगत सम्बद्धता/सम्बद्धता विवरण की वेबसाइट से पूर्ण प्राप्त करवा जाना अनिवार्य होगा। उपरोक्त अवधि तक यदि संस्था द्वारा अनुमोदन पत्र परिषद कार्यालय में प्राप्त नहीं करवाया गया तो ऐसी स्थिति में संस्थान को सन 2022-23 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान करने पर विचार नहीं किया जाएगा।

उपरोक्तानुसार निर्गत सहमति/अनापत्ति पत्र प्रतोकल्पक है, और उपरोक्तानुसार वर्णित शर्तों को पूर्ण किये जाने पर ही मान्य होगा। साथ ही पीएससीआई एवं परिषद द्वारा निर्धारित शर्तों/मानकों के अनुसार संस्था का स्थलीय निरोक्षण एवं अभिलेखीय सहायन एक माह के अंदर करवाया जाएगा। पीएससीआई/परिषद के मानकों के क्रम में दिये गये अभिलेखों के सहायन की पूर्ति न होने पर अनापत्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जाएगी।

सचिव  
Rhan  
(एफओ आर) खान  
सचिव

पुनः- प्राथिप/परिषद/2022/7388-89

दिनांक- 08-08-2022

प्रतिनिधि- निम्नलिखित को सूचनाय एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक प्राथमिक शिक्षा, उ०प्र० कानपुर।
2. रजिस्ट्रार-कम-सेक्रेटरी, फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, कम्बाइन्ड काउन्सिल बिल्डिंग, टेम्पल लेन, कोटला रोड, एलन-ए-गासिब मार्ग, नई दिल्ली-110 002

(एफओ आर) खान  
सचिव